[2008] 6 एस. सी. आर.

बी. एल. अरोरा

बनाम

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सिंडिकेट बैंक

(2008 की सिविल अपील सं. 2904)

22 अप्रैल, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे. जे.)

सेवा कानून:

सिंडिकेट बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995, विनियम 24/0.एम. क्रमांक 9/20/69-ईसीटीटी दिनांक 26.8.1971 एवं ओ.एम. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संख्या 10/47/86-एससीटी(बी) दिनांक 10.11.1986: पेंशन - सेना में प्रदान की गई पिछली सेवा की गणना - निर्धारण: बैंक का कर्मचारी सैन्य पेंशन के लाभ का हकदार है, यदि कोई है, लेकिन पेंशन के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणना की जाने वाली सैन्य सेवा प्राप्त करने का हकदार नहीं है - भारत सरकार द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए विभिन्न संचार भी पेंशन के इस पहलू पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं।

अपीलकर्ता भारतीय सेना में अल्प सेवा/शॉर्ट सर्विस कमीशन में शामिल हो गया और बाद में प्रतिवादी-बैंक में जूनियर अधिकारी के रूप में शामिल हो गया। वर्ष 2001 में, उन्होंने पेंशन निर्धारण और ग्रेच्युटी की गणना के उद्देश्य से सेना में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गणना करने का दावा करते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना। सिंडीकेट बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के विनियमन 24 के

संदर्भ में अधिकारियों द्वारा दावे को खारिज कर दिया गया था। पदधारी ने एक रिट याचिका दायर करके अधिकारियों के आदेश को चुनौती दी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलकर्ता-कर्मचारी ने तर्क दिया कि पेंशन की गणना करते समय सैन्य सेवा को बाहर करने का कोई कारण/आधार नहीं था जब सेवा की ऐसी अवधि को वरिष्ठता और वेतनमान के उद्देश्य से गिना जाता था।

प्रतिवादी-कर्मचारी ने तर्क दिया कि सिंडिकेट बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम के विनियम 24 में स्पष्ट शर्त के मद्देनजर, अपीलकर्ता द्वारा किया गया दावा स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 सिंडिकेट बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 24 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक कर्मचारी सैन्य पेंशन के लाभ का हकदार है, यदि कोई हो, लेकिन सैन्य सेवा को योग्यता के रूप में नहीं गिना जाएगा। अपीलकर्ता का पक्ष यह है कि क्योंकि वह शॉर्ट कमीशन अधिकारी के रूप में सेवा कर रहा था, इसलिए वह सैन्य पेंशन का हकदार नहीं है। यह किसी भी तरह से स्थिति को बेहतर नहीं बनाता है। विनियम 24 का उद्देश्य स्पष्ट है कि सेना में सेवा प्रदान करने के लिए मिलने वाला लाभ सेना से प्राप्त करना होगा, यदि वह इसका हकदार है। (पैरा 7) [765-डी, ई, एफ]

भारतीय स्टेट बैंक बनाम डी. हनुमंत राव और अन्य। (1998) 6 एससीसी 183 - अनुपयुक्त ठहराया गया।

1.2 सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, बैंकिंग प्रभाग, संख्या 9/20/69-ईसीटीटी (सी) दिनांक 26.8.1971 एवं क्रमांक 10/47/86-एससीटी(बी) दिनांक 10.11.1986 के केवल मात्र अध्ययन से यह दर्शाता है कि वे केवल वेतन

निर्धारण और वरिष्ठता से संबंधित हैं और पेंशन पहलू पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। (पैरा-8) [765-जी; 766-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की सिविल अपील संख्या 2904

रिट याचिका (सिविल) संख्या 5917/2003 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 05.04.2005

नवीन आर. नाथ अपीलकर्ता की ओर से।

ए.बी. डेल, मनीष चौहान, सुमति आनंद, गोपाल कुमार और राजीव नंदा प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **डॉ अरिजीत पसायत, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की।

2. इस अपील में अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है।

3. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ता भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन में शामिल हो गया। प्रतिवादी-सिंडिकेट बैंक (बाद में 'बैंक' के रूप में संदर्भित) द्वारा जूनियर अधिकारियों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया गया था। कुल पदों में से 25% पद आपातकालीन कमीशन अधिकारी/अल्प सेवा कमीशन अधिकारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। अपीलकर्ता लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुआ और उसे योग्य घोषित किया गया। सशस्त्र बलों की सेवा से मुक्त होने पर उस 29.3.1976 को बैंक में कार्यग्रहण कर लिया। सशस्त्र बलों में अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई वेतन और पदोन्नति सेवा के निर्धारण के उद्देश्य से कुछ सरकारी निर्देशों के मद्देनजर विचार किया

गया था। अपीलकर्ता ने बैंक द्वारा बनाई गई एक योजना के मद्देनजर वर्ष 2001 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना। इसके बाद अपीलकर्ता ने मांग की कि पेंशन गणना और ग्रेच्युटी के निर्धारण के लिए सैन्य सेवा की अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सिंडीकेट बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (संक्षेप में "विनियम") के विनियमन 24 के मद्देनजर बैंक द्वारा उसकी मांग को खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने यह आधार लिया कि भारत सरकार के 10 नवंबर, 1986 के निर्देशों के मद्देनजर, पेंशन की गणना के उद्देश्य से सैन्य सेवा की अवधि को शामिल किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मुक्त जारी आपातकालीन कमीशन अधिकारी और शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी (रिक्तियों पर आरक्षण) नियम, 1971 (संक्षेप में 'नियम') नियम 6 के संदर्भ में और ज्ञापन दिनांक 21-09-1993 वरिष्ठता और वेतन निर्धारण के सीमित उद्देश्य तक ही सीमित हैं ।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष लिये गये आधारों को दोहराया। यह आग्रह किया गया था कि पेंशन की पात्रता की गणना करते समय सैन्य सेवा को बाहर करने का कोई कारण या आधार नहीं था जब सेवा की ऐसी अवधि को वरिष्ठता और वेतनमान के उद्देश्य से गिना जाता था।

5. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विनियम 24 में स्पष्ट शर्त के मद्देनजर अपीलकर्ता द्वारा किया गया दावा स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।

6. विनियम 24 इस प्रकार है:

"24. सैन्य सेवा:

एक कर्मचारी जिसने बैंक में नियुक्ति से पहले सैन्य सेवा प्रदान की है, वह सैन्य पेंशन, यदि कोई हो, प्राप्त करना जारी रखेगा

और कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा को पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा।"

7. विनियम 24 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक कर्मचारी सैन्य पेंशन का लाभ पाने का हकदार है, यदि कोई हो, लेकिन सैन्य सेवा को पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा। अपीलकर्ता का पक्ष यह है कि चूंकि अपीलकर्ता शॉर्ट कमीशन अधिकारी के रूप में कार्यरत था, इसलिए वह सैन्य पेंशन का हकदार नहीं है। यह किसी भी तरह से स्थिति को बेहतर नहीं बनाता है। विनियम 24 का उद्देश्य स्पष्ट है कि सेना में सेवा प्रदान करने के लिए मिलने वाला लाभ सेना से प्राप्त किया जाना चाहिए, यदि वह इसका हकदार है। भारतीय स्टेट बैंक बनाम डी. हनुमंत राव और अन्य में निर्णय (1998 (6) एससीसी 183) जिस पर बहुत अधिक भरोसा किया गया है, उससे अपीलकर्ता को कोई सहायता नहीं मिलती। निर्णय एक अलग तथ्यात्मक परिदृश्य में दिया गया था। अपीलकर्ता का पक्ष यह है कि सरकार ने विभिन्न ज्ञापनों में वेतन निर्धारण और वरिष्ठता के मामले में सेवा लाभ बढ़ाया है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, बैंकिंग प्रभाग संख्या 9/20/69-ईसीटीटी (सी) दिनांक 26.8.1971 एवं एफ.नं. 10/47/86-एससीटी(बी) दिनांक. 10.11.1986 के संचार का संदर्भ दिया गया है।

8. इन संचारों को पढ़ने मात्र से पता चलता है कि वे केवल वेतन निर्धारण और वरिष्ठता से संबंधित हैं और पेंशन पहलू पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। यह निवेदन किया गया है कि प्रासंगिक समय पर बैंक में पेंशन योजना प्रचलन में नहीं थी। यदि पेंशन के मामले में कोई लाभ अपेक्षित था, जैसा कि दावा किया गया है तो उसे उचित कार्यालय ज्ञापन या परिपत्र में स्पष्ट रूप से बताया जा सकता था। ऐसा नहीं किया गया है. इसलिए, दी गई याचिका में कोई सार नहीं है।

9. किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो अपील बिना योग्यता के है, खारिज करने योग्य है, जिसका हम निर्देश देते हैं।

10. खर्चे के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील खारिज कर दी जाती है।

एस.के.एस. अपील खारिज की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास' की सहायता से** अनुवादक न्यायिक अधिकारी **राजकुमार (आर.जे.एस.),** द्वारा किया गया है।**]**

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।